Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Revision Case No.- 151 /2025]

Chandramani Singh...Appellant

Versus

The State of Bihar...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.1.2026	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-12348/2024 में दिनांक-03.9.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के आपूर्ति अपील वाद सं0-10/2022 में पारित आदेश दिनांक-16.12.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-10.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि स्वतः संज्ञान के आधार पर उनके द्वारा Petitioner की प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवा में होने के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के साथ Petitioner के सरकारी सेवा में जाने/होने का कोई साक्ष्य/कागजात संलग्न नहीं किया गया। तथा यह कि Petitioner के द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु आवेदन किसी भी स्तर पर नहीं दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने से पूर्व Petitioner को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा भी Petitioner द्वारा रखे गये तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए उनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक-107 दिनांक-11.11.2017 के द्वारा Petitioner श्री चन्द्रमणि सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-काशनगर, अनुज्ञप्ति सं. -472/16 की प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवा में हो जाने के फलस्वरूप उनके अनुज्ञप्ति सं.-472/16 को रद्द करने एवं उनसे सम्बद्ध उपभोक्ताओं को उसी पंचायत के निकटतम जनवितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध करने की अनुशंसा प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा आदेश ज्ञापांक-3614-2 दिनांक-24.11.2017 से अनुज्ञप्ति सं0-472/16 को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष दायर अपील वाद सं.-10/2022 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए अपील वाद को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा के प्रतिवेदन पर बिना संगत प्रक्रिया के अनुपालन किये ही Petitioner के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

R.

	30.1.2026	अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा Bihar Targeted P.D.S. (Control) order 2016 के नियम 27(ii) ''अनुज्ञप्ति रद्दकरण का कोई आदेश तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति रद्दकरण के प्रस्ताव के विरूद्ध अपने मामले के बारे में कहने का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।'' के अनुपालन से संबंधित कोई संगत कागजात अभिलेख पर नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा उठाये गये आपत्ति के बिन्दु के संदर्भ में निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, सहरसा) के अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि ''आवेदक का पुनः कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा ज्ञापांक-3614-2 दिनांक-24.11.2017 से इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित निर्णय सही नहीं है। क्योंकि इनकी अनुज्ञप्ति वर्ष 2021 तक नवीकृत है और इसके विरूद्ध न तो किसी उपभोक्ता के द्वारा कोई शिकायत किया गया है। और न ही अपने अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने का अनुरोध किया गया है। इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से पूर्व इनसे कोई स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया है जबकि नियमतः अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने से पूर्व इनसे स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए था।'' कागजातों के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि अपीलाधीन आदेश में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उठाये गये बिन्दुओं पर कोई Findings अंकित किये बिना हीं अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से Bihar Targeted P.D.S. (Control) order 2016 के नियम 27(ii) ''अनुज्ञप्ति रद्दकरण का कोई आदेश तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति रद्दकरण के प्रस्ताव के विरूद्ध अपने मामले के बारे में कहने का पर्याप्त अवसर न दे दिया गया हो।'' को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त Findings के आधार पर न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं.-10/2022 में पारित आदेश दिनांक-16.12.2023 को निरस्त करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता (PDS Dealer) के अनुज्ञप्ति सं.-472/16 को Reinstate किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा वादी के सरकारी नौकरी सहित अन्य किसी बंधेज के संदर्भ में नियम 27(ii) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं। इस आदेश की प्रति LCR के साथ समाहर्त्ता, सहरसा को भेजें। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा को अनुपालन हेतु भेजें। Sd/- 30/1/2026 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Sd/- 30/1/2026 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	